# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

## अपील संख्या 37/2019 जिला सीकर

1. जयराम पुत्र मुखाराम, जाति माली, उम्र–56 साल, निवासी–जाटला तन बालाजी नगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान। – अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र श्री ख्यालीराम सैनी, जाति माली निवासी–बालाजी नगर पोस्ट मावडा कलां तहसील–नीमकाथाना जिला सीकर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार–नीमकाथाना, जिला सीकर राजस्थान
3. अर्जून पुत्र मूखाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र मूखाराम
5. कैलाश चन्द पुत्र मूखाराम
6. घीसा पुत्र तुलछा
7. जयमल पुत्र मूखाराम
8. मूलचन्द पुत्र दुर्गाराम
9. अशोक पुत्र दुर्गाराम
10. हरलाल पुत्र दुर्गारम
11. घीली पत्नि दुर्गाराम
12. पतासी पत्नि तुलछा
13. प्रभात पुत्र माना
14. रूडी पुत्री भींवा
15. रोहिताश पुत्र तुलछा
16. विष्णु पुत्र मुखाराम
17. सूणी देवी पत्नि भाताराम

समस्त जाति माली निवासीयान–जाटाला तन बालाजी नगर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) – रेस्पोंडेन्ट्स

अपील दोयम जैर दफा–राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट, 1956 बनाराजी तजवीज न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.08.2019 की धारा 128 के तहत खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के प्रार्थना पत्र को अपीलार्थी की बिना सुनवाई का मौका दिये बगैर ही स्वीकार कर लिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 16.08.2019 के आदेश पारित करने के विरूद्ध अपील

## अपील संख्या 07/2021 जिला सीकर

1. जयराम पुत्र मुखाराम, जाति माली, उम्र–56 साल, निवासी–जाटाला तन बालाजी नगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान। – अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमर सिंह सैनी पुत्र स्व. श्री ख्यालीराम सैनी ,
2. छगन पुत्र स्व. श्री ख्यालीराम सैनी
3. श्योपाली पत्नि स्व. श्री ख्यालीराम सैनी,
4. सुमेर सिंह पुत्र स्व. श्री ख्यालीराम सैनी,
5. साधुराम पुत्र स्व. श्री नारायण

जाति माली निवासी–बालाजी नगर पोस्ट मावडा कलां तहसील–नीमकाथाना जिला सीकर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार–नीमकाथाना, जिला सीकर राजस्थान
7. अर्जून पुत्र मूखाराम
8. ओमप्रकाश पुत्र मूखाराम
9. कैलाश चन्द पुत्र मूखाराम
10. घीसा पुत्र तुलछा
11. जयमल पुत्र मूखाराम
12. मूलचन्द पुत्र दुर्गाराम
13. अशोक पुत्र दुर्गाराम
14. हरलाल पुत्र दुर्गारम
15. धोली पत्नि दुर्गाराम
16. पतासी पत्नि तुलछा
17. प्रभात पुत्र माना
18. रूडी पुत्री भींवा
19. रोहिताश पुत्र तुलछा
20. विष्णु पुत्र मुखाराम
21. सूणी देवी पत्नि भाताराम

समस्त जाति माली निवासीयान–जाटाला तन बालाजी नगर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

**– रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील दोयम जैर दफा–राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट, 1956 बनाराजी तजवीज न्यायालय माननीय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.01.2021 बमुकदमें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के प्रार्थना पत्र को अपीलार्थी की बिना सुनवाई का मौका दिये बगैर ही स्वीकार कर लिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 29.01.2021 के आदेश पारित करने के विरूद्ध अपील ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रमेश कुमार सैनी
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 की ओर से वकील श्री मनोज कुमार वर्मा
3. रेस्पोडेन्ट नं. 6 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
4. वकील अपीलान्ट श्री रमेश कुमार सैनी
5. रेस्पोडेन्ट नं. 5,6,8,9,10,15 की ओर से वकील श्री सुनिल कुमार सैनी
6. रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

**दिनांक –24.05.2022**

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 के खिलाफ क्रमश : 05.09.2019 दिनांक 08.02.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अमर सिंह सैनी एवं अन्य द्वारा दो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं. 64 रकबा 1.29 हेक्टेयर एवं ख.नं. 69 रकबा 0.03 हैक्टेयर ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें। उक्त प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 पारित किया गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान एवं पडोसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में ख.नं. 64 रकबा 1.29 है. एवं ख.नं. 69 रकबा 0.03. है. वाके ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कलां की मुताबिक संयुक्त टीम द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट 23.10.2020 पत्थरगढी करवायी जावे।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पर काबिज काश्त अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना एवं उन्हें सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा पडौसी एवं विवादित भूमि के मध्य स्थित भूमि के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना व बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि जिस भूमि की पत्थरगढी का आदेश पारित किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय हाजा ने मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसकी जॉच भी हल्का पटवारी से नहीं करायी जाकर और ना ही तहसीलदार तहसील नीमकाथाना के द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की मौका रिपोर्ट बिना तलब किये ही उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय न विवादित भूमि का बिना मौका देखे व पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट को पढे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक नहीं होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी के पडौसी खातेदारों के द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी व अन्य की भूमि के सीमा बाबत आये दिन विवाद करते आ रहे है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर पत्थरगढी करने हेतु पेश किया गया है लेकिन अधीनस्थ हाजा ने प्रार्थीगण ने अपीलार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगा. 22 को बिना पक्षकार बनाये ही तथा पडौसी खातेदारों की बिना सुनवाई किये बिना ही उपरान्त केवल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 5 की सुनवाई किये ही निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी करने के आदेश देने में कानूनी त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराई जाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश प्रदान किये हैं । रेस्पोडेन्ट सं. 1 अमर सिंह ने तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 64 रकबा 1.29 है0, ख.नं. 69 रकबा 0.03 है. विषय में सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश किया। दिनांक 16.01.09 को प्रार्थी/रेस्पो. की कृषि भूमि का सीमाज्ञन किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थी/रेस्पो. 1 ने उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनुवानी अमर सिंह बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनुवानी अमर सिंह बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र संख्या 55/2019 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 16.08.2019 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये। प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 1 उक्त नम्बरान का खातेदार काश्तकार है हाल अपीलान्ट उक्त नम्बारान का सह खातेदार काश्तकार नहीं है। दिनांक 16.08.2019 के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष जयराम पुत्र मुखाराम ने अपील पेश की। दौराने अपील अपीलान्ट के भाई कैलाश पुत्र श्री मुखाराम ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आराजीयात का समझौता कमेटी गठित कर नये पुराने नक्शों का मिलान करते हुये पुनः सीमाज्ञान करने हेतु आवेदन पेश किया। कैलाश चन्द वगै. द्वारा प्रस्तुत 136 का दावा संख्या 146/19 उनवानी कैलाश बनाम सुमेर को विड्रा किया। अपीलान्ट के भाई कैलाश चन्द के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने उक्त भूमि का नये पुराने नक्शे के आधार पर ETS मशीन से सीमाज्ञान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र को प्रतिप्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने पॉच व्यक्तियों (कर्मचारी) की समझौता कमेटी गठित कर ETS मशीन से सीमाज्ञान करने का आदेश दिया। उक्त समझौता कमेटी द्वारा ETS मशीन से पुनः उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 23.10.2020 किया जाकर नये पुराने नक्शों का मिलान करते हुऐ सुपर इम्पोज नक्शा बनाया। उक्त सीमाज्ञान के आदेश के आधार पर प्रार्थी/रेस्पो.सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष पुनः पत्थरगढी हेतु आवेदन पेश किया। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने दिनांक 29.10.2021 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः जयराम, कैलाश के भाई ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 53/2021 उनुवानी जयराम बनाम अमरसिंह प्रस्तुत कर दी। कैलाश चन्द्र ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष पुनः 136 एल.आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश प्रदान किया है । दूसरी ओर अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की । हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश क्रमांक : भूअ/18/298–99 दिनांक 10.01.2019 की पालना में पटवारी हल्का मावंडाकलां ने ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना के विवादित आराजी का मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 16.01.2019 को किया गया था । इसके पश्चात विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश क्रमांकः भूअ/2020/3990–95 की अनुपालना में राजस्व ग्राम जाटाहाला के आराजी खसरा नं 64, 69 का सीमाज्ञान बाबत कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के आदेश क्रमांकः भू.प्र. अ.सी./सीमाज्ञान/2020/603 दिनांक 16.10.20 की अनुपालना में गठित टीम के वांछित सहयोग बाबत, बहमराह पटवारी मावंडाकलां एवं नाथा नांगल तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि नहीं है। रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था । प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 पारित कर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार कराकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश प्रदान किये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 16.08.2019 एवं 29.01.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( डॉ. गिरीश पाराशर )
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner